सत्यमेव जयते

नमस्ते स्कीम
के अंतर्गत कचरा बीनने वालों
के घटक को शामिल करने के लिए
स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भारत सरकार

विषय - सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं
1	स्कीम का नाम	2
2	उद्देश्य	2
3	पृष्ठभूमि	2-5
4	लक्षित समूह, कवरेज और समय-सीमा	5-6
5	कार्यान्वयन कार्यनीति	6
6	वांछनीय परिणाम	7
7	स्कीम के घटक	7-13
8	स्कीम की निगरानी एवं मूल्यांकन	13
9	कार्यान्वयन कार्यतंत्र	13-15
10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व	15-16
11	वित्तीय परिव्यय	17-18

नमस्ते स्कीम के अंतर्गत कचरा बीनने वालों के घटक को शामिल करने के लिए स्कीम के दिशा-निर्देश

1. स्कीम का नाम

राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) स्कीम, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों (एसएसडब्ल्यू) के कल्याण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, है और इसमें पूर्ववर्ती ' हाथ से मैला उठाने वालों (एमएस) के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार' के घटक शामिल हैं, जो वर्ष 2023-24 से चालू है। स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने दिनांक 20.06.2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 से नमस्ते स्कीम में तीसरे घटक के रूप में कचरा बीनने वालों को शामिल करने को मंज़ूरी दे दी है।

2. उद्देश्य

इस स्कीम के कचरा बीनने वाले घटक का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा बीनने वालों को एकीकृत करना है: -

- अपशिष्ट संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में उनके योगदान को मान्यता देना और उसे मजबूत करना।
- उन्हें मान्यता प्रदान करना, वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ सुरक्षित और टिकाऊ कार्य वातावरण प्रदान करना।
- उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी स्कीमों से जोड़ना – आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान।
- विभिन्न योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर सुरक्षित, गरिमापूर्ण और सतत आजीविका प्रदान करना।

3. पृष्ठभूमि

सफाई इकोसिस्टम, जिसमें शहरी वातावरण में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, के दो घटक हैं:

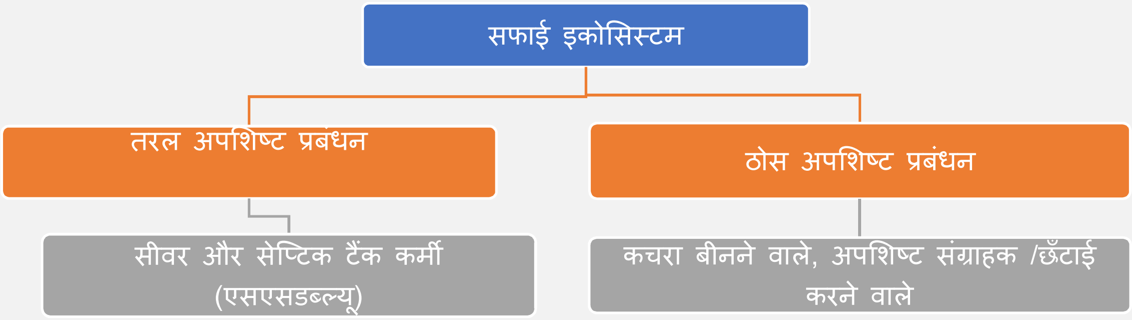

नमस्ते स्कीम का कचरा बीनने वाला घटक विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, छंटाई और प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों की जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। यह पहल कचरा बीनने वालों, अपशिष्ट संग्राहकों और छांटने वालों को लक्षित करती है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन अक्सर असुरक्षित और अनौपचारिक परिस्थितियों में काम करते हैं।

- घरों, संस्थानों और कारखानों में उत्पन्न होने वाले कचरे सहित अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण नीति और व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों को पहचानना और उनका प्रसार करना कचरे को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने से रोकने के बजाय इसे पुनर्चक्रण, रीयूस और अपसाइक्लिंग के माध्यम से संसाधन में परिवर्तित करना महत्वपूर्ण है। यह बदलाव सामग्रियों के उपयोग को कम करेगा और पर्यावरणीय क्षति को कम करेगा।

- जैसे-जैसे समाज समृद्ध और अधिक शहरीकृत होता जा रहा है, ठोस अपशिष्ट की प्रकृति बदल रही है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के बजाय, घरों में प्लास्टिक, कागज, धातु और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे की मात्रा अधिक हो रही है। भारत में, शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखी गई है और अनुमान है कि प्रतिदिन 130,000 से 150,000 मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसके वर्ष 2031 तक वार्षिक 125 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है। अपशिष्ट की संरचना भी गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों की ओर महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गई है।

- वर्ष 2000 में, भारत के पहले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियमों का उद्देश्य कचरे को इकट्ठा करना, उसे लाना-ले जाना और सुरक्षित लैंडफिल में निपटाना था, यह नीति अप्रभावी साबित हुई और शहरों में कचरे के पहाड़ बढ़ गए। सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) (एसडब्ल्यूएम) में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता को सामने लाया। ये नियम

प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा घोषित जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, हवाईअड्डों, एयरबेस, बंदरगाह, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, समय-समय पर क्रमश: राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के साथ - साथ प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट उत्पादकों पर लागू होंगे। नियमावली के अनुसार , भारत को अपशिष्ट निपटान के लिए दुर्लभ तथा मूल्यवान भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपशिष्ट को संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए और सामग्री की पुन:प्राप्ति तथा पुन:उपयोग के लिए कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए।

- वर्ष 2014 के प्रयासों से अपशिष्ट प्रसंस्करण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 18% से बढ़कर वर्ष 2021 तक 70% हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलों ने इस प्रगति को सुगम बनाया है। 01 सितंबर, 2021 को लॉन्च किए गए एसबीएम 2.0 का उद्देश्य कुशल अपशिष्ट स्रोत पृथक्करण, 100% डोर-टू-डोर संग्रहण और अपशिष्ट पदार्थों के पूर्ण उपचारात्मक उपचार के साथ शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

- अब, संसाधन पुनर्प्राप्ति और चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर फोकस किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें वर्ष 2023 के सर्वेक्षण का विषय "अपशिष्ट से धन" है।

- एसडब्लूएम मूल्य श्रृंखला में या तो औपचारिक नगरपालिका कचरा संग्रहण प्रणाली या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं जैसे कि कचरा बीनने वालों के माध्यम से शहर के स्तर पर कचरा संग्रहण शामिल है। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा एकत्र किए गए कचरे को अलग किया जाता है, और रीसाइक्लेबल सामग्रियों को स्थानांतरण स्टेशनों या या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) पर पुनर्प्राप्त किया जाता है। बचे हुए प्लास्टिक को अन्य कचरे के साथ मिलाकर आगे की प्रक्रिया के लिए कचरा-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) उपचार संयंत्र में भेजा जाता है। हालाँकि, नीति और तकनीकी हस्तक्षेप की कमी, हितधारकों के बीच असहयोग और अकुशल संग्रह तंत्र जैसी विभिन्न चुनौतियों चुनौतियों के कारण, भारत में नगरपालिका एसडब्ल्यूएम सेवाओं को अक्सर अकुशल रूप से प्रबंधित किया जाता है। औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन उद्यमों की भागीदारी कम

बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त निधि, कानूनी मार्गदर्शन की कमी, कम क्षेत्रीय विकास और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसायों के बारे में जानकारी का अभाव है। परिणामस्वरूप, कचरा बीनने वालों सहित अनौपचारिक कचरा क्षेत्र, अपशिष्ट संग्रहण और रीसाइक्ल गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

- कचरा बीनने वाले एसडब्ल्यूएम इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे पुनर्चक्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- लैंगिक कमज़ोरियाँ भी प्रचलित हैं, क्योंकि महिला कचरा बीनने वालों को अक्सर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। दूसरे श्रम आयोग ने कचरा बीनने वालों द्वारा निभाई जा रही मूल्यवान भूमिका को मान्यता दी है और उनके लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा नेटों और संरक्षण की सिफारिश की है । एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल सभी श्रमिकों को पीपीई प्रदान करना अनिवार्य है।

- अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई मौजूदा नियम और नीतियां हैं जो स्पष्ट रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के कचरा बीनने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल करने का आदेश देती हैं, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, नियमावली 15 (ग): "कूड़ा चुनने वालों/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना और द्वार-द्वार जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में इनकी भागीदारी को सुकर बनाने के लिए इन प्राधिकृत चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।"

- कचरा बीनने वाले लोग अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे लैंडफिल कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण पहल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी उन्हें मान्यता की कमी, अपर्याप्त कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुंच जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- वे अक्सर उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के बिना काम करते हैं और उन्हें व्यावसायिक खतरों और बिचौलियों और अधिकारियों द्वारा अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, कचरा बीनने वाले अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं और एकत्र किए गए कचरे को स्क्रैप डीलरों को शोषणकारी दरों पर बेचते हैं।

➢ **कचरा बीनने वालों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:**

- द्वितीय श्रम आयोग और एसडब्लूएम नियमावली, 2016 जैसे विनियमों में स्वीकार किए जाने के बावजूद, कचरा बीनने वालों को अभी तक यूएलबी द्वारा स्थापित एमआरएफ के माध्यम से अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण गतिविधियों के लिए यूएलबी द्वारा आधिकारिक तौर पर एकीकृत नहीं किया गया है।

- एसडब्ल्यूएम के लिए औपचारिक मूल्य श्रृंखला का अभाव जो यूएलबी के तहत पुनर्चक्रण गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए कचरा बीनने वालों की पहचान करता है, उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें आवश्यक कौशल और वित्त से जोड़ता है।

- पहचान और सौदेबाजी की शक्ति का अभाव तथा प्राधिकारियों, पुलिस आदि द्वारा शोषण का शिकार होना।

- परिवर्तनीय और अस्थिर आय, आर्थिक असुरक्षा और गरीबी का कारण बनती है।

- कचरा बीनने वाली महिलाओं को अतिरिक्त चुनौतियों, भेदभाव और सुरक्षा मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

- उचित पीपीई किट और सुरक्षित कामकाजी माहौल के अभाव में उन्हें व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का भी सामना करना पड़ता है।

भारत में कचरा बीनने वालों को ठोस अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता में सुधार, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और कचरा बीनने वालों की आजीविका और काम करने की स्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

नमस्ते स्कीम के अंतर्गत तीसरे घटक के रूप में कचरा बीनने वालों को शामिल करने का उद्देश्य कचरा संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण प्रयासों में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करके और उन्हें मजबूत बनाकर उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करना है। इसका उद्देश्य उन्हें औपचारिक मान्यता, वित्तपोषण तक बेहतर पहुँच, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियाँ और एक सुरक्षित, टिकाऊ कार्य वातावरण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह घटक कचरा बीनने वालों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी स्कीमों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी समग्र भलाई और आजीविका को बढ़ाया जा सके।

4. लक्षित समूह, कवरेज और समय-सीमा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली 2016 में कचरा बीनने वालों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"अपशिष्ट चुनने वाला" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुन: उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ठ के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं।

यह स्कीम एसडब्लूएम नियमावली 2016 के तहत ऊपर परिभाषित कचरा बीनने वालों पर लागू होगी, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सड़कों, डोर टू डोर, ट्रांसफर स्टेशनों, खुले डंपसाइटों, लैंडफिल साइटों, अपशिष्ट निपटान स्थलों, सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधाओं, अपशिष्ट पुन:प्राप्ति और पुनर्चक्रण, मरम्मत सुविधाओं आदि पर काम करने वाले अनौपचारिक कचरा बीनने वाले और अपशिष्ट खरीदार।

- अपशिष्ट प्रसंस्करण/अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं पर कार्य करने वाले अनौपचारिक अपशिष्ट छाँटने वाले।

- कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए अनौपचारिक श्रमिक/छंटाई करने वाले।

कवरेज: नमस्ते सकीम के कचरा बीनने वाले घटक को देश के सभी यूएलबी (अनुमानित 4800+) और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को नमस्ते पोर्टल के माध्यम से कचरा बीनने वालों के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा बीनने वालों का डाटा जिला पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

समय-सीमा: नमस्ते स्कीम के अंतर्गत कचरा बीनने वाले घटक को वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक दो वित्तीय वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में और स्कीम में सुझावों को शामिल करने के बाद इसे जारी रखा जा सकता है।

5. कार्यान्वयन कार्यनीति

यह स्कीम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, पंचायती राज मंत्रालय आदि जैसे प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के

के अभिसरण में लागू की जाएगी। मुख्य कार्यनीति कचरा बीनने वालों को औपचारिक रूप से पहचानने और उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आजीविका प्रदान करके मुख्यधारा में लाने की है। इसके लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप की आवश्यकता है: -

- देश भर में कचरा बीनने वालों की पहचान करना और उनकी प्रोफाइलिंग करना ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन्हें उचित मान्यता दी जा सके और उन्हें कचरा बीनने वाले पहचान पत्र जारी किए जा सकें।
- उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और पीपीई किट प्रदान करना
- एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना
- कचरा बीनने वालों की उचित पहचान करने के बाद सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों के रूप में उन्हें बढ़ावा देना
- कचरा बीनने वालों को दीर्घावधि आधार पर सूखा कचरा संग्रहण केन्द्र (डीडब्ल्यूसीसी) आबंटित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्रवाई करना ताकि वे सुरक्षित एवं स्थायी कार्यस्थल स्थापित कर सकें
- संसाधन संगठनों (आरओ) के माध्यम से कचरा बीनने वालों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर सकें
- कचरा बीनने वालों के एसएचजी को अपशिष्ट संग्रहण वाहन के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना
- जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन के लिए कामगार केन्द्रित और नागरिक केन्द्रित आईईसी अभियान

6. वांछिनीय परिणाम

इस स्कीम का मूल विश्वास यह है कि कचरा बीनने वाले एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें और सुरक्षित तथा बेहतर वातावरण में काम करें। नमस्ते का उद्देश्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है: -

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में कचरा बीनने वालों की गणना, मान्यता और समेकन।
- निम्नलिखित उपायों के माध्यम से कचरा बीनने वालों की व्यावसायिक पहचान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण स्कीमों तक पहुंच सुनिश्चित करना

➢ स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान में हस्तक्षेपों के माध्यम से कचरा बीनने वालों का सशक्तिकरण और औपचारिकीकरण, कचरा बीनने वाले समूहों के संगठन के माध्यम

से आजीविका को बढ़ावा देना, पीपीई किट का प्रावधान और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक सुरक्षा में वृद्धि।

- कचरा बीनने वालों के समूहों को संसाधन संगठनों (आरओज) के माध्यम से सहायता प्रदान करना ताकि वे 750 डीडब्ल्यूसीसी का प्रबंधन कर सकें।
- 75000 कचरा बीनने वालों को व्यावसायिक कौशल उन्नयन और पीपीई किट उपलब्ध कराना ताकि उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन के लिए कामगार केन्द्रित और नागरिक केन्द्रित आईईसी अभियान।

7. स्कीम के घटक

नमस्ते पहल को कचरा बीनने वालों की गणना, मान्यता और समेकन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि उनकी व्यावसायिक पहचान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी स्कीमों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस स्कीम के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

7.1 कचरा बीनने वालों की गणना और व्यावसायिक फोटो पहचान पत्रों का प्रावधान

- पहचान प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा सिविल समाज संगठनों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और कचरा बीनने वालों से संबंधित मुद्दों में सक्रिय रूप से लगे हुए समूहों की सहायता से आयोजित की जाएगी।

- कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।

- प्रोफाइलिंग प्रक्रिया में शामिल शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और सिविल समाज संगठनों (सीएसओ) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें नमस्ते ऐप का उपयोग करके डाटा संग्रहण प्रक्रियाओं से परिचित कराया जा सके।

- यूएलबी द्वारा नियुक्त सीएसओ नमस्ते ऐप का उपयोग करके प्रोफाइलिंग करेंगे। तत्पश्चात्, शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन और वैधीकरण करेंगी।

- व्यवसाय को पुष्ट करने के लिए सत्यापन की शर्तें जैसे स्क्रैप की बिक्री से हाल ही में हुई प्राप्तियां, स्क्रैप दुकान मालिकों/अन्य पंजीकृत कचरा बीनने वालों/स्थानीय सफाई कर्मचारियों द्वारा पृष्ठांकन अथवा मान्यता प्राप्त कचरा बीनने वाले संगठनों की सदस्यता अथवा किसी अन्य संगत दस्तावेज के माध्यम से भी प्रदान की जा सकती हैं।

- सीएसओ/सीएससी/आरओ/यूएलबी को कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें केवल उन कचरा बीनने वालों के लिए 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिनका ई-केवाईसी सफल होगा और उन्हें संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्य किया गया है।

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छाग्रही स्वयंसेवा को मोबाइल ऐप का उपयोग करके या सीएससी की सहायता लेने के लिए ग्राम स्तर पर कचरा बीनने के डाटा संग्रह के लिए जिम्मेदार संसाधन व्यक्ति के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

- स्वच्छाग्रही/सीएससी द्वारा इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों का संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वैधीकरण किया जाएगा।

- इसके अलावा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कीमों के अंतिम छोर तक वितरण की महत्वपूर्ण विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों को भी शुल्क आधारित मॉडल यानी 250 रूपये प्रति सफल ई-केवाईसी के साथ मान्य कचरा बीनने वालों पर स्कीमों के लाभों की रूपरेखा तैयार करने और विस्तार करने के लिए आवश्यक होने पर शामिल किया जा सकता है।

- ग्राम पंचायतों द्वारा वैध कचरा बीनने वालों के आंकडे स्वीकृति तथा आगे नमस्ते एमआईएस को प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायती राज प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

- कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए उपयुक्त और व्यापक आईईसी अभियान चलाए जाएंगे और नमस्ते स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार भी किया जाएगा।

- नमस्ते स्कीम के केंद्रीय एमआईएस पोर्टल में एक बार कचरा बीनने वालों का पूरा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद, सिस्टम स्वचालित रूप से प्रत्येक कचरा बीनने वाले के लिए एक विशिष्ट आईडी नंबर उत्पन्न करेगा। उसके आधार पर प्रणाली द्वारा कचरा बीनने वालों के आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे और कचरा बीनने वालों को प्रदान किए

जाएंगे और इस प्रकार उन्हें संबंधित यूएलबी/आरएलबी में कचरा बीनने से संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकृत किया जाएगा।

7.2 व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

- चिन्हित कचरा बीनने वालों को अपशिष्ट मूल्य संवर्धन, अपसाइक्लिंग और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक सुरक्षा/उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें ऋण प्राप्त करने और उत्पाद डिजाइन और पैकेजिंग, विपणन, वित्तीय प्रबंधन और ई-कॉमर्स सहित मूल्य संवर्धन परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके। प्रशिक्षण में पीपीई किटों के उचित उपयोग और रखरखाव के साथ-साथ व्यावसायिक खतरों के जोखिम में कमी के बारे में कचरा बीनने वालों के लिए संवेदीकरण, जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र शामिल होंगे।
- स्वच्छता निरीक्षकों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्यम, आरओ और सीएसओ सहित संबंधित नगरपालिका अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि कचरा बीनने वालों के सामने आने वाले खतरों को पहचाना जा सके और उन्हें संबोधित किया जा सके।

- कचरा बीनने वालों के लिए 30 घंटे अपस्किलिंग/आरपीएल प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिमानतः संसाधन संगठन के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है जो कचरा बीनने वालों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ संगठन हैं और इस मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
- उपयुक्त प्रशिक्षण अध्यापन को शामिल करते हुए मानक प्रशिक्षण वितरण के लिए विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए ई मॉड्यूल के साथ पूरक होने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया जा सकता है।
- कौशल विकास प्रशिक्षण मंत्रालय के कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शुल्क का निर्णय लिया जा सकता है। 5 दिनों के प्रशिक्षण के लिए वेतन मुआवजे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से 1000/- रुपये प्रति कचरा बीनने वाले के रूप में किया जाएगा।
- कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संगठनों (आरओ) को पैनलबद्ध किया जाएगा।

7.2.1 प्रशिक्षण सामग्री विकास (ई-मॉड्यूल) और ए.आर/वी.आर आधारित प्रशिक्षण

क. उपयुक्त प्रशिक्षण अध्यापन को शामिल करते हुए मानक प्रशिक्षण वितरण के लिए विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए ई-मॉड्यूल के साथ पूरक होने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया जा सकता है।

ख. कचरा बीनने वालों और एसएसडब्ल्यू के लिए ए.आर/वी.आर-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास: कचरा बीनने वालों और सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) दोनों के लिए ए.आर/वी.आर-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल को शामिल करके ई-मॉड्यूल प्रशिक्षण मॉड्यूल को बढ़ाना, जिससे उन्हें यथार्थवादी लेकिन जोखिम-मुक्त वातावरण में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं को सीखने और अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सके।

7.2.2 पीपीई किट का प्रावधान

- व्यावसायिक खतरों से कचरा बीनने वालों की रक्षा के लिए, एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 द्वारा अनिवार्य रूप से उपयुक्त पीपीई किट उन विशिष्ट खतरों पर विचार करते हुए प्रदान की जाएगी, जिनका वे सामना करते हैं, जैसे कि बैटरी में हानिकारक रसायन, ट्यूब लाइट, तेज वस्तुएं, एयरोसोल बोतलें और चरम मौसम की घटनाएं जैसे हीटवेव, लैंडफिल फायर, बारिश और बाढ़ आदि। प्रत्येक प्रोफाइल किए गए कचरा बीनने वाले को पीपीई किट का एक मानक सेट प्रदान किया जाएगा।
- पीपीई किट के प्रत्येक सेट में निम्नलिखित आइटम हो सकते हैं:

क्र.सं.	वस्तुएं	मात्रा
1	दस्ताने	1 सेट
2	मास्क	1
3	सुरक्षात्मक कपड़े (एप्रन)	2 सेट
4	फ्लोरोसेंट जैकेट	1
5	सुरक्षा जूते/गम जूते	1 सेट
6	रेनकोट	1 सेट
7	टोपी	1 सेट

7.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा बीनने वालों का समेकन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (2016) के नियम 15(ग) और (घ) यूएलबी और पंचायतों को कचरा बीनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों के संगठनों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और इन अधिकृत कचरा बीनने वालों और अपशिष्ट संग्राहकों संग्राहकों के एकीकरण के लिए एक प्रणाली को बढ़ावा देने और स्थापित करने का निर्देश देते हैं ताकि कचरे के घर-घर जाकर संग्रह सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके और उन्हें पहचान पत्र प्रदान किए जा सकें।

कचरा बीनने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में समेकित करने में औपचारिक रूप से अपशिष्ट संग्रह, छंटाई और पुनर्चक्रण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना तथा उन्हें सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल होगा। इस एकीकरण में पहचान पत्र जारी करना, कचरा बीनने वालों के समूहों को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर केंद्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करना शामिल है।

यह समग्र दृष्टिकोण न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि कचरा बीनने वालों की आजीविका और काम करने की स्थिति में भी सुधार करेगा, एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वातावरण में योगदान देगा। इस स्कीम के अंतर्गत इस पहल के हिस्से के रूप में निम्नलिखित हस्तक्षेप किए जाएंगे:

7.3.1 एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में कचरा बीनने वालों के समेकन के लिए सलाह:

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जैसे संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया जाएगा कि वे एसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में कचरा बीनने वालों के समेकन के लिए परामर्श के रूप में आवश्यक निर्देश जारी करें।

एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के नियम 15 में स्थानीय निकायों से कहा गया है कि:-

i. अधिकृत कचरा बीनने वालों को अलग-अलग कूड़े को सौंपने के लिए प्रत्यक्ष अपशिष्ट जनरेटर प्रदान किया जाए।
ii. कचरा बीनने वालों को पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की छंटाई के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुन:प्राप्ति सुविधाओं/द्वितीयक भंडारण सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान किया जाए।
iii. एसडब्ल्यूएम पर कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
iv. अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा पुनर्चक्रण पहल को प्रोत्साहित करने पर विचार किया जाए।

7.3.2 शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी)

शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी) शुष्क अपशिष्ट, मुख्य रूप से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री, को अधिक संगठित और कुशल तरीके से प्रबंधित और संसाधित करने के लिए डिज़ाइन की गई सुविधाएं हैं। डीडब्ल्यूसीसीसी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में योगदान करते हुए कचरा बीनने वालों के लिये बेहतर अवसर और काम करने की स्थिति प्रदान करने में मदद करते हैं।

यह परिकल्पना की गई है कि अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में काम करने का महत्वपूर्ण अनुभव रखने वाले स्थानीय निकायों और संसाधन संगठनों के सहयोग से इस स्कीम के अंतर्गत 750 डीडब्ल्यूसीसी को सहायता प्रदान की जाएगी। डीडब्ल्यूसीसी का प्रबंधन कचरा बीनने वालों के समूहों द्वारा संसाधन संगठनों की सहायता से किया जाएगा। इसमें शामिल प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

क) संसाधन संगठनों (आरओ) का पैनल बनाना

- **चयन के लिए मानदंड:** अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और कचरा बीनने वालों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सिद्ध विशेषज्ञता वाले संसाधन संगठनों (आरओ) का चयन किया जाएगा।

- **केंद्रीय पैनलमेंट:** मानकीकृत मूल्यांकन और चयन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए केंद्रीय स्तर पर पैनल प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तथापि, ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो डीडब्ल्यूसीसी को बढ़ावा देने के लिए आरओ का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन केंद्रीय पैनल प्रक्रिया द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें स्थानीय रूप से उपयुक्त संसाधन संगठनों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी।

- **डीडब्ल्यूसीसी संवर्धन के लिए राज्यों/यूएलबी की पहचान:** उन राज्यों/यूएलबी की पहचान करने के लिए पैनलबद्ध आरओ जहां डीडब्ल्यूसीसी को बढ़ावा दिया जाना **है।**

ख) शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्रों (डीडब्ल्यूसीसी) को बढ़ावा देने/प्रबंधित करने में संसाधन संगठनों (आरओ) की भूमिका और उत्तरदायित्व

- **जागरूकता और जुड़ाव:** कचरा बीनने वालों को एसएचजी बनाने के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और जुड़ाव सत्र आयोजित करना, जैसे

सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, संसाधनों तक पहुंच और आजीविका के अवसरों में सुधार करना।

- **क्षमता निर्माण:** एसएचजी प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि सदस्यों को एसएचजी को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
- **डीडब्ल्यूसीसी की स्थापना की सुविधा:** डीडब्ल्यूसीसी के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान और बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए स्थानीय निकायों के साथ सहयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि वे परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आरओ डीडब्ल्यूसीसी की स्थापना में मदद करेगा, जिसे मौजूदा एसओपी के अनुसार कचरा बीनने वाले एसएचजी द्वारा संचालित किया जाएगा।
- **डीडब्ल्यूसीसी के संचालन के लिए मॉडल अनुबंध:** स्थानीय निकायों, कचरा बीनने वाले समूहों और आरओ के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शर्तों को रेखांकित करते हुए मॉडल अनुबंध बनाना। दायित्वों और लाभों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करते हुए, उनसे बातचीत और निष्पादन की सुविधा प्रदान करना। अनुपालन की निगरानी और मुद्दों को हल करने के लिए प्रणाली लागू करना।

- **डीडब्ल्यूसीसी के संचालन के लिये सतत् सहायता:** डीडब्ल्यूसीसी के संचालन के प्रबंधन, मुद्दों को हल करने और दक्षता में सुधार के लिये कचरा बीनने वाले समूहों को निरंतर परिचालन सहायता प्रदान करना।
- **सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ उठाने के लिए कचरा बीनने वालों की सहायता करना:** संसाधन संगठन विभिन्न सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों जैसे आयुष्मान भारत, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम और ई-श्रम के अंतर्गत नामांकन का लाभ प्राप्त करने में कचरा बीनने वालों की सहायता भी करेंगे।
- **शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्र के प्रबंधन के लिए संसाधन संगठन शुल्क:** आरओ द्वारा प्रदान की जाने वाली निरंतर सहायता और प्रबंधन सेवाओं की लागत को कवर करने के लिए आरओ को 12 माह की अवधि के लिए प्रति माह 10,000 रुपये प्रति डीडब्ल्यूसीसी को समेकित प्रबंधन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ग) अपशिष्ट संग्रहण वाहन की खरीद के लिए डीडब्ल्यूसीसी हेतु पूंजीगत सब्सिडी: शुष्क अपशिष्ट के घर-घर से एकत्रीकरण के लिए शुष्क अपशिष्ट संग्रहण वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से 750 डीडब्ल्यूसीसी को प्रोत्साहित किया जाएगा। अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

अपशिष्ट संग्रहण	पूंजीगत सब्सिडी

वाहन की लागत	
5,00,000 रुपये तक	परियोजना लागत का 50%
5,00,000 से 15,00,000	2.50 लाख रुपये+शेष परियोजना लागत का 25% (अधिकतम पूंजी सब्सिडी **5.00** लाख रुपये प्रति डीडब्ल्यूसीसी तक)

प्रत्येक शुष्क अपशिष्ट संग्रहण केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी) से अधिकतम 2 अपशिष्ट संग्रहण वाहन खरीदे जा सकते हैं। तथापि, प्रत्येक डीडब्ल्यूसीसी 5 लाख रुपये की अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है और प्रति वाहन पूंजीगत सब्सिडी की गणना उपर्युक्त के अनुसार की जाएगी।

7.4 **सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ संबंध:** इस स्कीम का उद्देश्य कचरा बीनने वालों को आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों को इस स्कीम से जोड़कर उनका लाभ पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। तथापि, विशेष रूप से इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों के साथ लिंकेज विकसित किया जाएगा:

(i) **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):** सभी पात्र और चिन्हित कचरा बीनने वालों को आयुष्मान भारत योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अभिसरण में माध्यमिक और अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

इस स्कीम के अंतर्गत बीमा कवरेज केवल उन लाभार्थियों को दिया जाएगा जो पहले से एबी-पीएमजेएवाई में नामांकित नहीं हैं। एबी-पीएमजेएवाई के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक गैर-दोहराव का अभ्यास करेगी जो पहले से ही नामांकित हैं ताकि स्कीम के अंतर्गत बीमा कवर केवल उन पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाए जो पहले से एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवर नहीं हैं।

(ii) **अस्वच्छ और जोखिमपूर्व व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तिः** अधिमान्य कचरा बीनने वालों के बच्चे/अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण व्यवसायों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iii) **ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकरणः** असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) सृजित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण को बढ़ावा दिया गया है ताकि उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लाभ प्रदान किए जा सकें। वैध कचरा बीनने वालों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण करने की सुविधा दी जाएगी।

7.5 आईईसी अभियान:

(i) कामगार और नागरिक केन्द्रित आईईसी अभियान आयोजित किए जाएंगे (स्कूलों, कॉलेजों, महिला प्रकोष्ठ सहित पुलिस पदाधिकारियों, संगत नगरपालिका पदाधिकारियों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों आदि सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)। कचरा बीनने वालों की सुरक्षा और सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने, कचरा बीनने वालों के लिए प्रस्तावित स्कीम के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएग। कचरा बीनने पर केंद्रित आईईसी महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने, कचरा बीनने वालों के बीच हेल्पलाइन और लिंग-आधारित हिंसा के लिए शिकायत निवारण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कचरा बीनने वालों को उत्पीड़न और भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध कानूनी और दंडात्मक प्रावधानों से भी अवगत कराया जाएगा।

(ii) वीडियो और अन्य सृजनात्मक एवं चित्रात्मक मीडिया सहित व्यापक विज्ञापनों के माध्यम से कचरा बीनने वालों के लिए उपलब्ध स्कीमों को बढ़ावा देना। इन अभियानों को कचरा बीनने वालों और उनके समुदायों विशेष रूप से अनौपचारिक बस्तियों में जहां वे रहते हैं वहां पर लक्षित करना।

8. स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी गतिविधियों में तृतीय पक्ष के मूल्यांकन, प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन और सामाजिक लेखा परीक्षा आदि शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। इसमें मध्यावधि सुधार करने और स्कीम को इसके प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर संरेखित करने के लिए स्कीम का मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के दौरान किया जाएगा। इन गतिविधियों की लागत नमस्ते स्कीम के प्रशासनिक और शीर्षोपरि व्यय (ए एंड ओई) घटक के अंतर्गत पूरी की जाएगी।

9. कार्यान्वयन कार्य तंत्र

❖ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू), नमस्ते स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा/जो इस स्कीम के कचरा बीनने वाले घटक की सहायता के लिए कार्यान्वयन हेतु एक समर्पित तकनीकी सहायता इकाई / परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा समर्थित होगा।

❖ यह स्कीम एक समर्पित राष्ट्रीय टीम के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त पहल के रूप में संचालित होगी। एसएसडब्ल्यू के लिए स्कीम की निगरानी हेतु सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति कचरा बीनने वालों की स्कीम के कार्यान्वयन की भी निगरानी करेगी।

❖ समन्वय समिति नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तरों पर अभिसरण कार्रवाई के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य मिशनों/मंत्रालयों/विभागों/उद्योग संघों के साथ संपर्क करेगी। समन्वय समिति कचरा बीनने वालों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के संबंध में समय-समय पर सलाह और सुझाव भी देगी। सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के लिए नमस्ते स्कीम के अंतर्गत केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर गठित त्रि-स्तरीय कार्य समूह भी कचरा बीनने वालों की स्कीम की निगरानी करेंगे।

❖ स्कीम के दायरे और व्यापक पैमाने को देखते हुए, इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के अंतर्गत एक समर्पित तकनीकी टीएसयू/पीआईयू की स्थापना की जाएगी। टीएसयू/पीआईयू में 2 राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक और 10 परियोजना प्रबंधक शामिल होंगे, जिन्हें परियोजना की अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा। टीएसयू/पीआईयू दिन-प्रतिदिन के परियोजना कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। उनके कार्यों में समय-सीमा और एसओपी के साथ प्रत्येक स्कीम घटक के लिए विस्तृत कार्यान्वयन नीति तैयार करना, त्रैमासिक कार्य योजना विकसित करना, सर्वेक्षण के लिए मानक प्रारूप बनाना और नमस्ते स्कीम के कचरा बीनने वाले घटक के संचालन के लिए दिशानिर्देश, सलाह और एसओपी तैयार करना और संबंधित अन्य मुद्दों को समाधान करना शामिल होगा।

❖ राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन संरचना निम्नानुसार होगी:

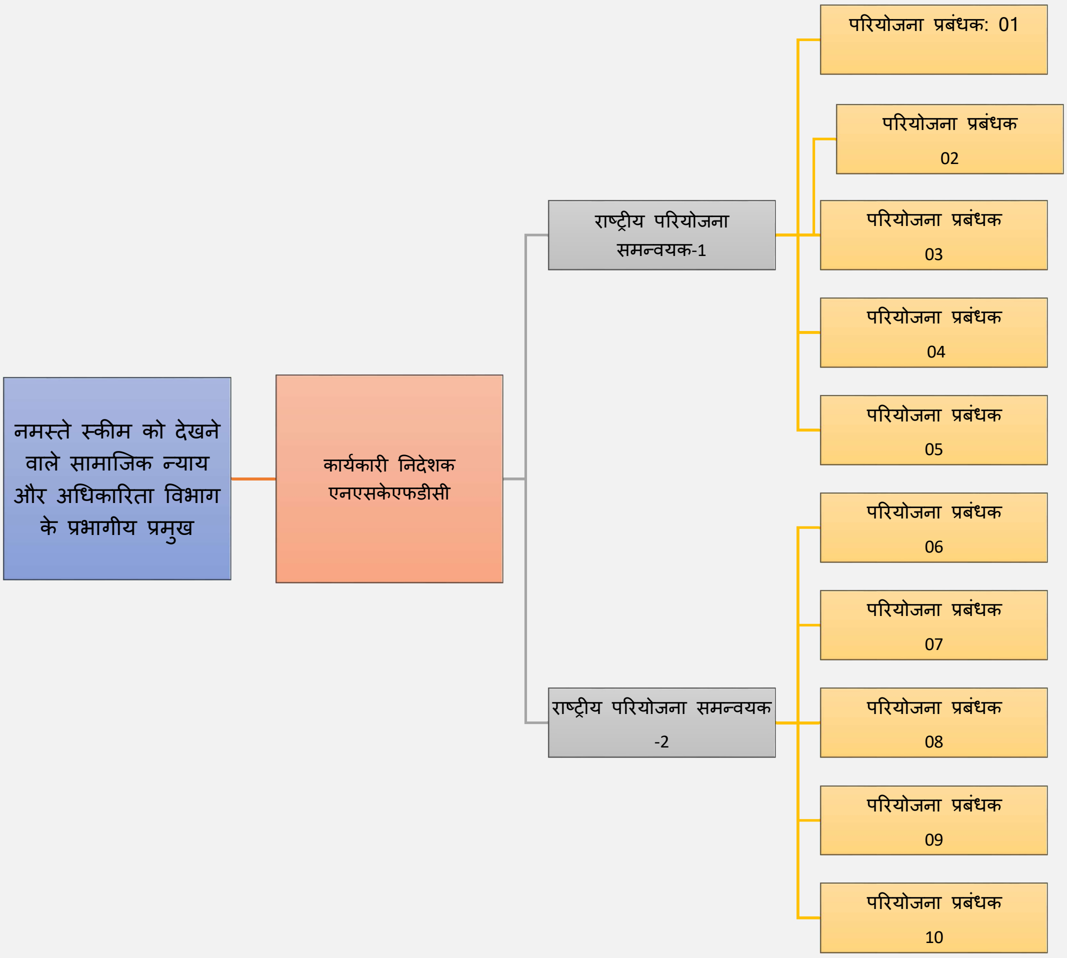

❖

तकनीकी सहायता एकक

❖ स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप और समर्पित नमस्ते एमआईएस पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर निगरानी और रिपोर्टिंग की जाएगी।

❖ विभिन्न स्तरों पर इस स्कीम के कचरा बीनने वाले घटक के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी निम्नानुसार होंगे:

स्तर	शहरी	ग्रामीण
राज्य	नमस्ते स्कीम के अंतर्गत पहले से ही नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी	मिशन निदेशक- एसबीएम ग्रामीण या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।
जिला/यूएलबी	एसडब्ल्यूएम गतिविधियों की देखभाल करने वाले यूएलबी स्तर के नोडल अधिकारी (नामित किए जाने के लिए)	प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
ग्राम पंचायत	लागू नहीं	ग्राम पंचायत सचिव

10. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व

घटक	उत्तरदायित्व मंत्रालय/विभाग
कचरा बीनने वालों की गणना और उनका समेकन	
कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग (शहरी और ग्रामीण)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एसडब्ल्यूएम के कचरा बीनने वाले की प्रोफाइलिंग और उनके समेकन हेतु शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण स्थानीय शासकीय निकायों को आश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में **कचरा** बीनने वालों के समेकन के लिए सलाह (एसडब्ल्यूएम)	
आजीविका सहायता	
एमआरएफ, शुष्क अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों, पुनर्चक्रण केन्द्रों, कम्पोस्टिंग केन्द्रों आदि की स्थापना के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में कचरा बीनने वालों का समेकन।	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अपशिष्ट संग्रहण वाहनों के लिए डीडब्ल्यूसीसी को पूंजी सब्सिडी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा	
एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा	एनएचए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ई-श्रम का पंजीकरण	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

हस्तांतरणीय कौशल, कार्यात्मक साक्षरता और ईपीआर पर व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण पर प्राथमिक हितधारक (कचरा बीनने वाले और एसडब्ल्यूएम कार्यकर्ता);	
स्कीम के दिशा-निर्देशों और अनुप्रयोग प्रशिक्षण पर द्वितीय हितधारक (राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारी, यूएलबी, ग्राम पंचायतें, आदि)	
आईईसी अभियान	
यूएलबी केंद्रित अभियान	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय/पंचायती राज संस्थाओं पर केन्द्रित अभियान	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज मंत्रालय
नागरिक केंद्रित अभियान	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

11. वित्तीय परिव्यय

क)	एसएसडब्ल्यू घटक	समय सीमा			
क्र.सं.	घटक	वित्तीय वर्ष 25-26			टिप्पणियां
		लाभार्थियों की संख्या	यूनिट लागत	निधि (रु. करोड़ में)	
1	एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग	500	2000	0.1	2000 रुपये प्रति शिविर की दर से 500 शिविर
2	ईआरएसयू के लिए सुरक्षा उपकरण	667	200000	13.34	
3	सतही सफाई करने वाले एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई किट	30000	4000	12.00	
4	सतही एसएसडब्ल्यू के क्षमता निर्माण, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण	25000	4405.08	11.01	लागत में 3405.08 रुपये का पाठ्यक्रम शुल्क और 1000 रुपये की दर से यात्रा लागत सहित वजीफा शामिल है। (कुल राशि 4405.08 रुपये प्रति व्यक्ति है)
5	कार्यशालाएं	500	20000	1	
6	मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए स्वच्छता उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी	250	500000	12.5	प्रति यूनिट औसत लागत 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रावधान के साथ 5.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ा दी गई है।
7	मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए पीएसएसओ और ठेकेदारों को पूंजीगत सब्सिडी	100	1000000	10	100 इकाइयां, प्रत्येक को 10.00 लाख रुपये की दर से पूंजीगत सब्सिडी
8	आईईसी			1.51	
9	आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कवरेज			0.6	
10	पीएमयू को वेतन			3.63	
	कुल (क)			**65.69**	
ख)	**एसआरएमएस घटक (मैनुअल स्कैवेंजर)**				
क्र.सं.	घटक	वित्तीय वर्ष 25-26			
		लाभार्थियों की संख्या	यूनिट लागत	निधि	
1	चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	2000	30000	6.00	
2	मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	200	100000	2.00	
3	पूंजीगत सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को सहायता	200		0.02	
4	चिन्हित मैला ढोने वालों को ओटीसीए	1*		0.0004	* कल्पित(नोशनल) आवंटन

	कुल (ख)			**8.02**	
ग)	**कचरा बीनने वाले घटक**				
क्र.सं.	**घटक**	**वित्तीय वर्ष 25-26**			
		लाभार्थियों की संख्या	**यूनिट लागत**	**निधि**	
1	कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग	250000	250	6.25	प्रति यूनिट प्रोफाइलिंग लागत को मौजूदा 150 रुपये प्रति मान्य सर्वेक्षण से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है।
2	व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण लागत जिसमें वजीफा भी शामिल है	15000	4000	6.00	लागत में 3000 रुपये का पाठ्यक्रम शुल्क और 1000 रुपये की यात्रा लागत सहित वजीफा शामिल है। (कुल राशि 4000 रुपये प्रति व्यक्ति)
3	कचरा बीनने वालों के लिए पीपीई किट	75000	2500	18.75	
4	प्रशिक्षण सामग्री विकास (ई मॉड्यूल), जिसमें एआर/वीआर प्रशिक्षण भी शामिल है - एसएसडब्ल्यू और कचरा बीनने वालों दोनों के लिए।			3.5	
5	डीडब्ल्यूसीसी के लिए अपशिष्ट संग्रहण वाहनों के लिए पूंजी अनुदान	100	375000	3.75	प्रति डीडब्ल्यूसीसी 5 लाख रुपये तक की अधिकतम अग्रिम पूंजी सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी: कचरा संग्रहण वाहन की लागत — पूंजीगत सब्सिडी **5.00** लाख रुपये तक — परियोजना लागत का **50%** **5.00** लाख से **15.00** लाख — **2.50** लाख रुपये + शेष परियोजना लागत का **25%**
6	डीडब्ल्यूसीसी के लिए संसाधन संगठन शुल्क	100	60000	0.6	
7	आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कवरेज			1	आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने
8	एप्लीकेशन डेवलपमेंट/आईटी अवसंरचना			1	

9	आईईसी अभियान			10	
10	तकनीकी समर्थन			0.85	
11	अन्य व्यय			0.81	
	कुल (ग)			**52.51**	
	कुल (क+ख+ग)			**126.22**	
	प्रशासनिक लागत @ 3%			**3.78**	
	प्रशासनिक लागत सहित कुल योग			**130.00**	